भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2767

दिनांक 12.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित गाँव

2767. श्री आलोक शर्माः
श्री लुम्बा रामः
श्री बिद्‌युत बरन महतोः
श्री विजय बघेलः
श्री विनोद लखमशी चावड़ाः
श्री अरुण गोविलः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री अनिल फिरोजियाः
श्री जनार्दन मिश्राः
श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः
श्री दिलीप शइकीया:
श्री धर्मबीर सिंहः
श्री मनोज तिवारीः
श्री कंवर सिंह तंवरः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) की हर घर जल योजना के अंतर्गत देश में अमरोहा, भिवानी-महेंद्रगढ़, महाराष्ट्र में फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जलगांव जिला, राजस्थान के जालौर और सिरोही जिले, मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने गांवों को प्रमाणित/चयनित किया गया है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 से अब तक ग्रामीण घरों में नल के जल के कनेक्शनों की संख्या में कितनी वृद्‌धि हुई है और कितने गांव लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने में सफल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर अल्पसेवित/जल की कमी वाले क्षेत्रों में नल के जल के लंबित कनेक्शनों की संस्थापना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(च) देश में उक्त योजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण घरों को निरंतर और विश्वसनीय जलापूर्ति सुनिश्चित करने और नल के जल के कनेक्शनों के रखरखाव और स्थिरता बनाए रखने में पेश आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ) अगस्त 2019 से, भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल अर्थात नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) के साथ 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर का प्रावधान करने हेतु राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है।

अगस्त, 2019 में, जल जीवन मिशन की शुरुआत में केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, दिनांक 09.12.2024 तक, लगभग 12.11 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के अंतर्गत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 09.12.2024 तक, देश के 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.34 करोड़ (79.28%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है और शेष परिवारों को राज्यों द्वारा उनकी आयोजना के अनुसार कवर किए जाने की आशा है। हर घर जल संसूचित और प्रमाणित जिलों और गांवों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अलावा, जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए नल कनेक्शनों का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार ब्यौरा भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, हरियाणा में भिवानी और महेंद्रगढ़, महाराष्ट्र में जलगांव, उत्तर प्रदेश में अमरोहा और प्रयागराज, मध्य प्रदेश में उज्जैन, राजस्थान में जालौर और सिरोही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को प्रदान किए गए नल जल कनेक्शनों की जिला-वार संख्या निम्नानुसार है:

संख्या लाख में

जिला और राज्य	कुल ग्रामीण परिवार (एचएच)	नल कनेक्शन वाले परिवार
भिवानी, हरियाणा	1.68	1.68 (100.00%)
महेंद्रगढ़, हरियाणा	1.49	1.49 (100.00%)
जलगांव, महाराष्ट्र	6.91	6.90 (99.92%)
अमरोहा, उत्तर प्रदेश	2.98	2.64 (88.91%)

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	6.51	4.89 (75.10)
उज्जैन, मध्य प्रदेश	2.64	1.90 (71.87%)
जालौर, राजस्थान	2.27	1.35 (59.69%)
सिरोही, राजस्थान	1.86	1.06 (57.08%)

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन के तहत प्रदान किए गए नल जल कनेक्शन की जिला-वार और ग्राम-वार स्थिति भी पब्लिक डोमेन और जेजेएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध है: *https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx*

(ङ) और (च) राज्यों ने सूचित किया गया है कि आयोजना चरण के दौरान जल संकटग्रस्त, सूखा प्रवण और मरूभूमि क्षेत्रों में भरोसेमंद पेयजल स्रोतों की कमी, भूजल में भू-जनित संदूषकों की मौजूदगी, विषम भौगोलिक भू-भाग और अलग-थलग बसी ग्रामीण बसावटों जैसी चुनौतियों ने प्रगति को प्रभावित किया है। यह देखा गया कि कुछ राज्यों में समतुल्य राज्य अंश जारी करने में विलंब और कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अपेक्षित तकनीकी क्षमता की कमी ने भी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण कच्चे माल विशेष रूप से डीआई/एचडीपीई पाइपों की अपर्याप्त उपलब्धता ने भी राज्यों में कार्यान्वयन की गति को प्रभावित किया है।

भारत सरकार ने चुनौतियों का समग्र रूप से निराकरण करने और इन पर काबू पाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता हेतु वित्त मंत्रालय के माध्यम से पूंजीगत व्यय हेतु राज्यों को विशेष सहायता का कार्यान्वयन, तर्कसंगत मूल्यों पर पाइपों की सुनिश्चित तथा पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने हेतु उपयुक्त उपाय करना, सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में राज्यों को सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए विभाग में एक नोडल अधिकारी को नामित किया जाना, ग्राम स्तर पर कुशल स्थानीय व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) की स्थापना और *"नल जल मित्र कार्यक्रम"* का कार्यान्वयन शामिल है।

इसके अलावा, सृजित अवसंरचना की दीर्घावधिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, भुगतान करने से पूर्व तृतीय पक्ष निरीक्षण के माध्यम से सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा, सेंसर आधारित आईओटी समाधान के माध्यम से गांवों में जल आपूर्ति की माप और निगरानी, संविधिक प्रावधानों के अधीन लक्षित वितरण के लिए घर के मुखिया के आधार को जोड़ना, सृजित परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग आदि का भी जेजेएम के तहत प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, पारदर्शिता लाने और प्रभावी निगरानी के लिए, एक ऑनलाइन 'जेजेएम डैशबोर्ड' और मोबाइल ऐप बनाया गया है, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला और गांव-वार प्रगति

के साथ-साथ ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति के प्रावधान की स्थिति की जानकारी प्रदान करता है।

जेजेएम के तहत अन्य योजनाओं जैसे मनरेगा, ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी)/पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को 15वें वित्त आयोग के अनुदान, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), राज्य योजनाओं, एमपी/एमएलए-एलएडी निधि, जिला खनिज विकास कोष, सीएसआर निधि, सामुदायिक योगदान आदि के सामंजस्य से स्थानीय पेयजल स्रोतों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

*****

अनुबंध

दिनांक 12.12.2024 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2767 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

'हर घर जल' संसूचित और प्रमाणित जिलों तथा गांवों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	कुल जिले	हर घर जल जिले की संख्या		कुल गाँव	हर घर जल गांव की संख्या	
			संसूचित	प्रमाणित		संसूचित	प्रमाणित
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	3	3	265	265	265
2	आंध्र प्रदेश	26	1	0	15,999	4,781	3,701
3	अरुणाचल प्रदेश	25	25	25	5,133	5,133	5,133
4	असम	35	0	0	24,295	7,998	4,361
5	बिहार	38	5	0	37,270	32,311	1
6	छत्तीसगढ़	33	0	0	19,656	3,638	2,033
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव	3	3	3	96	96	96
8	गोवा	2	2	2	373	373	373
9	गुजरात	33	33	6	18,024	18,024	16,840
10	हरियाणा	22	22	22	6,600	6,600	6,600
11	हिमाचल प्रदेश	12	11	1	17,633	17,632	13,812
12	जम्मू एवं कश्मीर	20	1	1	6,153	1,191	664
13	झारखंड	24	0	0	29,398	4,442	2,167
14	कर्नाटक	31	0	0	26,563	6,412	4,111
15	केरल	14	0	0	1,435	126	87
16	लद्दाख	2	0	0	240	164	80
17	लक्षद्वीप	1	0	0	10	8	6
18	मध्य प्रदेश	52	2	1	51,056	17,055	9,916
19	महाराष्ट्र	34	0	0	40,297	18,588	11,655
20	मणिपुर	16	0	0	2,556	613	295
21	मेघालय	12	0	0	6,457	2,678	1,469
22	मिजोरम	11	11	6	637	637	595
23	नागालैंड	16	1	0	1,425	1,029	615
24	ओडिशा	30	0	0	46,597	13,956	8,226
25	पुदुचेरी	2	2	2	91	91	91
26	पंजाब	23	23	23	11,977	11,977	11,977
27	राजस्थान	48	0	0	41,917	8,383	4,159
28	सिक्किम	6	0	0	400	166	108
29	तमिलनाडु	37	13	5	11,816	7,742	6,514
30	तेलंगाना	32	32	0	9,693	9,693	0
31	त्रिपुरा	8	0	0	765	97	86
32	उत्तर प्रदेश	75	0	0	97,081	31,043	22,014
33	उत्तराखंड	13	0	0	14,985	10,705	7,229
34	पश्चिम बंगाल	22	0	0	38,196	3,814	2,294
कुल		**761**	**190**	**100**	**5,85,089**	**2,47,461**	**1,47,573**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस